



॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांक: 4379 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, मार्च १४ / 2026

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.713 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal NO.-FP/UK/ROAD/15018/2015)
सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या-SB/UCP/06/138/2016/FC दिनांक- 28.07.2025(प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से जनपद चमोली के अन्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.713 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्र १ का० देहरादून को प्राप्त अनुपालन आख्या में कुछ कमियां पायी गयी हैं, जो निम्न प्रकार से हैं-

1. As per CA scheme, total amounts required to deposit is Rs. 7,44,993/- but the UA deposited only Rs. 6,15,697/-. Hence, the user agency shall deposit remaining amount in CAMPA fund.

अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हुए पांच वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, फलस्वरूप उक्त प्रकरण हेतु एन०पी०वी० की वढी हुए दर एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वर्तमान दरों के अनुसार अवशेष धनराशि जमा की जानी है, जिसके क्रम में अवगत करना है कि विषयांकित प्रकरण हेतु निम्न तालिका-1 के अनुसार संशोधित एन०पी०वी० की दर एवं तालिका-2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वर्तमान दरों के अनुसार अवशेष धनराशि निम्नानुसार जमा करते हुए इस कार्यालय को सूचित करें-

तालिका-1

एन०पी०वी० हेतु	ईको क्लास	क्षेत्रफल (है० में)	Stage-I दिनांक	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन०पी०वी० की धनराशि (रु० में)			वर्तमान में निर्धारित नई दरों के अनुसार एन०पी०वी० का आकलन			जमा किये जाने वाली अवशेष धनराशि (रु०में)
				औसत घनत्व	दर प्रति है०	धनराशि (रु० में)	औसत घनत्व	दर प्रति है०	धनराशि (रु० में)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V		0.713	31-12-2018	0.5	845000.00	602485.00	0.5	1292850.00	921802.00	319317.00

तालिका-2


क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु	परियोजना का क्षेत्रफल (है० में)	परियोजना में प्रभावित वृक्षों की संख्या	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वृक्षों की संख्या	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्र	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि (रु० में)		वर्तमान में निर्धारित नई दरों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का आकलन		जमा किये जाने वाली अवशेष धनराशि (रु०में)
					दर प्रति है०	धनराशि (रु० में)	दर प्रति है०	धनराशि (रु० में)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.713	166	1660	1.660	370902.00	615697.00	2143.00	901441.00	285744.00

AS

अतः विषयांकित प्रकरण में एन0पी0वी0 की अवशेष धनराशि हेतु उपरोक्त तालिका-1 के कॉलम सं0 10 में अंकित रू0 319317.00(रू0 तीन लाख उन्नीस हजार तीन सौ सत्रह मात्र) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की अवशेषधनराशि हेतु तालिका-2 के कॉलम सं0 9 में अंकित रू0 285744.00 (रू0 दो लाख पिचासी हजार सात सौ चौवालीस मात्र) की धनराशि को ऑनलाईन चालान के माध्यम से यथाशीघ्र जमा कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे। ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
